

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 अप्रैल 2025—वैशाख 5, शक 1947

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 17 मार्च 2025

क्र. 15087-TDS-08-UJN-2024-22-25.- मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन, दिनांक 28 मार्च 2025 में मध्यप्रदेश नगर तथा
ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना क्र. 15087-
TDS-08-UJN-2024-22-25 उज्जैन, दिनांक 17 मार्च 2025 में सिंहरथ मेला क्षेत्र नगर विकास योजना 08, समिलित ग्राम
मोहनपुरा एवं जियापुरा/उज्जैन में टंकण त्रुटि होने से निम्न संशोधन किये जाते हैं :—

संशोधन

- राजपत्र के पेज नम्बर 660 पर, सरल क्र. 160, ग्राम मोहनपुरा खसरा नं 333 के रकबा कॉलम में 0. 250 के स्थान पर 0.1250 पढ़ा जाये।
- राजपत्र के पेज नम्बर 661 पर, सरल क्र. 164, ग्राम मोहनपुरा खसरा नं 335/2 के रकबा कॉलम में 0. 580 के स्थान पर 0.1580 पढ़ा जावे।
- राजपत्र के पेज नम्बर 661 पर, सरल क्र. 168 ग्राम मोहनपुरा खसरा कॉलम में 337/ के स्थान पर 337/2 पढ़ा जावे।
- राज्यपत्र के पेज नम्बर 661 पर, सरल क्र. 209 ग्राम मोहनपुरा खसरा कॉलम में 364/3/ के स्थान पर 364/3/2 पढ़ा जावे।
- राजपत्र के पेज नम्बर 662 पर, सरल क्र. 220 ग्राम मोहनपुरा खसरा कॉलम में 366/ मिन— के स्थान पर 366/ मिन—3 पढ़ा जावे।
- राजपत्र के पेज नम्बर 665 पर, सरल क्र. 341 ग्राम मोहनपुरा खसरा कॉलम में 17 के स्थान पर 617 पढ़ा जावे।
- राजपत्र के पेज नम्बर 665 पर, सरल क्र. 347 ग्राम मोहनपुरा खसरा नं. 622/1/2 के रकबा कॉलम में 1.0 5 के स्थान पर 1.045 पढ़ा जावे।
- राजपत्र के पेज नम्बर 666 पर, सरल क्र. 381 ग्राम मोहनपुरा के खसरा कॉलम में 644 2 के स्थान पर 644/2 पढ़ा जावे।
- राजपत्र के पेज नम्बर 666 पर, सरल क्र. 401 ग्राम मोहनपुरा खसरा कॉलम में 650/ के स्थान पर 650/4 पढ़ा जावे।
- राजपत्र के पेज नम्बर 666 पर, सरल क्र. 404 ग्राम मोहनपुरा खसरा कॉलम में 651/1/ के स्थान पर 651/1/3 पढ़ा जावे।
- राजपत्र के पेज नम्बर 667 पर, सरल क्र. 11 ग्राम मोहनपुरा खसरा कॉलम में 1 2 के स्थान पर 132 पढ़ा जावे।

12. राजपत्र के पेज नम्बर 668 पर, सरल क्र. 62 ग्राम मोहनपुरा खसरा नं. 371 के रकबा कॉलम में .523 के स्थान पर 0.523 पढ़ा जावे.
13. राजपत्र के पेज नम्बर 670 पर, के सरल क्र. 28 करबा उज्जैन, खसरा कॉलम में 14/0 के स्थान पर 14/01 पढ़ा जावे.
14. राजपत्र के पेज नम्बर 672 पर, के सरल क्र. 67 के खसरा कॉलम में 5/4 के स्थान पर 45/4 पढ़ा जावे.
15. राजपत्र के पेज नम्बर 677 पर, के सरल क्र. 159 के खसरा कॉलम में 92 2 के स्थान पर 92/2 पढ़ा जावे.
16. राजपत्र के पेज नम्बर 678 पर, सरल क्र. 203 करबा उज्जैन खसरा नं 116 के रकबा कॉलम में 0.07 के स्थान पर 0.073 पढ़ा जावे.
17. राजपत्र के पेज नम्बर 680 पर, सरल क्र. 253 करबा उज्जैन खसरा नं. 146 के रकबा कॉलम में 1.71 के स्थान पर 1.714 पढ़ा जावे.
18. राजपत्र के पेज नम्बर 688 पर, सरल क्र. 390 करबा उज्जैन खसरा नं 237/1 के रकबा कॉलम में 0.2 के स्थान पर 0.23 पढ़ा जावे.
19. राजपत्र के पेज नम्बर 690 पर, सरल क्र. 493 करबा उज्जैन खसरा नं. 307/3 के रकबा कॉलम में 0.10 के स्थान पर 0.105 पढ़ा जावे.
20. राजपत्र के पेज नम्बर 690 पर, सरल क्र. 501 करबा उज्जैन खसरा नं. 320/2 के रकबा कॉलम में 0.06 के स्थान पर 0.063 पढ़ा जावे.
21. राजपत्र के पेज नम्बर 692 पर, सरल क्र. 536 करबा उज्जैन खसरा नं. 364/2 के रकबा कॉलम में रिक्त स्थान के स्थान पर 0.00 पढ़ा जावे.
22. राजपत्र के पेज नम्बर 699 पर, सरल क्र. 773 करबा उज्जैन खसरा नं. 584/7 के रकबा कॉलम में 0 042 के स्थान पर 0.042 पढ़ा जावे.

संदीप कुमार सोनी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी।

उज्जैन, दिनांक 17 मार्च 2025

क्र. 15088-TDS-09-UJN-2024-23-25.- मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन दिनांक 28 मार्च 2025 में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना क्र. 15088-TDS-09-UJN-2024-23-25 उज्जैन, दिनांक 17 मार्च 2025 में सिंहस्थ मेला क्षेत्र नगर विकास योजना 09, समिलित ग्राम भद्रमयचक में टंकण त्रुटि होने से निम्न संशोधन किये जाते हैं :—

संशोधन

1. सिंहस्थ मेला क्षेत्र नगर विकास योजना 9 में राजपत्र के पेज नम्बर 758 पर ग्राम भद्रमयचक के सरल क्र. 40 के खसरा कॉलम में टंकण त्रुटि होने से 58/4/ के स्थान पर 58/4/2 पढ़ा जावे.

संदीप कुमार सोनी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी।

उज्जैन, दिनांक 17 मार्च 2025

क्र. 15090-TDS-11-UJN-2024-25-25.- मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन दिनांक 28 मार्च 2025 में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना क्र. 15090-TDS-11-UJN-2024-25-25 उज्जैन, दिनांक 17 मार्च 2025 में सिंहस्थ मेला क्षेत्र नगर विकास योजना 11, समिलित ग्राम खिलचीपुर में टंकण त्रुटि होने से निम्न संशोधन किये जाते हैं :—

संशोधन

1. राजपत्र के पेज नम्बर 826 पर, सरल क्र. 43 ग्राम खिलचीपुर खसरा कॉलम में 3 के स्थान पर 31 पढ़ा जावे.
2. राजपत्र के पेज नम्बर 827 पर, सरल क्र. 85 ग्राम खिलचीपुर खसरा नं. 60 के रकबा कॉलम में 0 125 के स्थान पर 0.125 पढ़ा जावे.
3. राजपत्र के पेज नम्बर 832 पर, सरल क्र. 247 ग्राम खिलचीपुर खसरा कॉलम में 12/1/1 के स्थान पर 212/1/1 पढ़ा जावे.
4. राजपत्र के पेज नम्बर 832 पर, सरल क्र. 251 ग्राम खिलचीपुर खसरा कॉलम में 14/2 के स्थान पर 214/2 पढ़ा जावे
5. राजपत्र के पेज नम्बर 836 पर, सरल क्र. 356 ग्राम खिलचीपुर खसरा नं. 331 के रकबा कॉलम में 0.1 5 के स्थान पर 0.125 पढ़ा जावे.

(G-1609)

संदीप कुमार सोनी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी।

कार्यालय, उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 23 अप्रैल 2025

“प्ररूप—अठारह”

[नियम 19(5) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन प्रारूप नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना]

क्र. 15087-TDS-08-UJN-2024-22-25.-एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन द्वारा प्रारूप नगर विकास योजना क्रमांक TDS-08-UJN-2024 यथा सिंहस्थ मेला क्षेत्र नगर विकास योजना ग्राम मोहनपुरा, करबा उज्जैन, जियापुरा के अन्तर्गत योजना तैयार की गई है तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप धारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उप नियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है :—

1. उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन, विशाला भवन प्रशासनिक क्षेत्र, देवास रोड, उज्जैन
2. नगर तथा ग्राम निवेश, विशाला भवन प्रशासनिक क्षेत्र, देवास रोड, उज्जैन
3. प्राधिकरण की वेबसाईट udaujjain.org पर भी प्रकाशित.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास स्कीम के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता से कार्यालय में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिवस के भीतर प्राप्त होती है, पर विचार किया जावेगा।
(G-1610)

“प्ररूप—अठारह”

[नियम 19(5) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन प्रारूप नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना]

क्र. 15088-TDS-09-UJN-2024-23-25.-एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन द्वारा प्रारूप नगर विकास योजना क्रमांक TDS-09-UJN-2024 यथा सिंहस्थ मेला क्षेत्र नगर विकास योजना ग्राम भेरुगढ़, मोजमखेड़ी, भदेड़मयचक एवं कोलूखेड़ी के अन्तर्गत योजना तैयार की गई है तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप धारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उप नियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है :—

1. उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन, विशाला भवन प्रशासनिक क्षेत्र, देवास रोड, उज्जैन
2. नगर तथा ग्राम निवेश, विशाला भवन प्रशासनिक क्षेत्र, देवास रोड, उज्जैन
3. प्राधिकरण की वेबसाईट udaujjain.org पर भी प्रकाशित.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास स्कीम के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता से कार्यालय में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिवस के भीतर प्राप्त होती है, पर विचार किया जावेगा।
(G-1611)

“प्ररूप—अठारह”

[नियम 19(5) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन प्रारूप नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना]

क्र. 15089-TDS-10-UJN-2024-24-25.-एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन द्वारा प्रारूप नगर विकास योजना क्रमांक TDS-10-UJN-2024 यथा सिंहस्थ मेला क्षेत्र नगर विकास योजना ग्राम भीतरी-2 एवं करबा उज्जैन के अन्तर्गत योजना तैयार की गई है तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप धारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उप नियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है :—

1. उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन, विशाला भवन प्रशासनिक क्षेत्र, देवास रोड, उज्जैन
2. नगर तथा ग्राम निवेश, विशाला भवन प्रशासनिक क्षेत्र, देवास रोड, उज्जैन
3. प्राधिकरण की वेबसाईट udaujjain.org पर भी प्रकाशित.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास स्कीम के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता से कार्यालय में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिवस के भीतर प्राप्त होती है, पर विचार किया जावेगा।
(G-1612)

“प्ररूप—अठारह”

[नियम 19(5) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन प्रारूप नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना]

क्र. 15090-TDS-11-UJN-2024-25-25.-एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन द्वारा प्रारूप नगर विकास योजना क्रमांक TDS-11-UJN-2024 यथा सिंहरथ मेला क्षेत्र नगर विकास योजना ग्राम खिलचीपुर, कमेड एवं कर्स्बा उज्जैन के अन्तर्गत योजना तैयार की गई है तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप धारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उप नियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन, विशाला भवन प्रशासनिक क्षेत्र, देवास रोड, उज्जैन
2. नगर तथा ग्राम निवेश, विशाला भवन प्रशासनिक क्षेत्र, देवास रोड, उज्जैन
3. प्राधिकरण की वेबसाईट udaujjain.org पर भी प्रकाशित.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास स्कीम के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता से कार्यालय में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिवस के भीतर प्राप्त होती है, पर विचार किया जावेगा।
(G-1613)

संदीप कुमार सोनी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम राजेश पचौरी पुत्र श्री लज्जा राम पचौरी है। उक्त नाम को परिवर्तित कर राजेश पचौरी कानिया पुत्र श्री लज्जा राम पचौरी कर लिया है। अतः प्रकाशन उपरान्त राजेश पचौरी के स्थान पर राजेश पचौरी कानिया (RAJESH PACHAURI KANIYA) के नाम से जाना—पहचाना व पढ़ा—लिखा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(राजेश पचौरी)

(राजेश पचौरी कानिया)

(RAJESH PACHAURI)

(RAJESH PACHAURI KANIYA)

पुत्र—श्री लज्जा राम पचौरी

नि.—वार्ड नं. 1, गोरमी, भिण्ड।

(G-1614)

नाम परिवर्तन

मैं, गौरव शर्मा, निवासी—डी—362, डी ब्लॉक, शताब्दीपुरम, फेस—1, ग्वालियर (म.प्र.), मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम गर्व शर्मा (Garav Sharma) गलत अंकित हो गया है। जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र पर उसका सही नाम अनंत शर्मा (ANANT SHARMA) नाम दर्ज है। अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में उसका सही नाम अनंत शर्मा (ANANT SHARMA) पुत्र गौरव शर्मा के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

आवेदक

(G-1615)

(गौरव शर्मा)

नाम परिवर्तन

मैं, लक्ष्मी बाई (Laxmi Bai) पत्नी स्व. श्री चेन सिंह (Chen Singh) हूँ, मेरी पुत्री रिया (Riya) पुत्री लक्ष्मी बाई (Laxmi Bai) एवं स्व. श्री चेन सिंह (Chen Singh) है, मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम सिया कुमारी (Siyा Kumari) पुत्री लक्ष्मी बाई (Laxmi Bai) अंकित है किंतु मेरी पुत्री के दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम रिया (Riya) पुत्री लक्ष्मी बाई (Laxmi Bai) एवं स्व. श्री चेन सिंह (Chen Singh) है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को रिया (Riya) पुत्री लक्ष्मी बाई (Laxmi Bai) एवं स्व. श्री चेन सिंह (Chen Singh) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

(G-1616)

आवेदिका

(लक्ष्मी बाई)

(Laxmi Bai)

पत्नी—स्व. श्री चेन सिंह

(Chen Singh)

पता—ग्राम नरेला, पोस्ट चकल्दी,

जिला—सीहोर (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चन्द्रकला पेसवानी (Chandrakala Pesswani) पत्नी श्री सुनील कुमार पेसवानी (Sunil Kumar Pesswani), निवासी—जे सेक्टर-233, प्रियंका नगर, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र मान पेसवानी (Maan Pesswani) के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम मान थापा (Maan Thapa) पुत्र श्री करण बहादुर थापा (Karan Bahadur Thapa) अंकित है। मेरे पति करण बहादुर थापा से संबंध विच्छेद तथा विघटित हो जाने से मेरा विवाह श्री सुनील कुमार पेसवानी से हुआ है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को मान पेसवानी (Maan Pesswani) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

पुराना नाम

नया नाम

(मान थापा)

(मान पेसवानी)

(Maan Thapa)

(Maan Pesswani)

पुत्र—श्री करण बहादुर थापा

संरक्षिका—श्रीमती चन्द्रकला पेसवानी

(Karan Bahadur Thapa)

(Chandrakala Pesswani)

(G-1617)

पत्नी—श्री सुनील कुमार पेसवानी

(Sunil Kumar Pesswani).

नाम परिवर्तन

मैं, उपदेश जाटव (Updesh Jatav) पुत्र श्री रामदयाल जाटव, मेरी पुत्री अवनी जाटव (Avani Jatav) के आधार कार्ड में उसका नाम अवनीश (Avnish) पुत्री श्री उपदेश (Updesh) अंकित है, जो कि सही नहीं है। मेरी पुत्री के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम अवनी जाटव (Avani Jatav) पुत्री श्री उपदेश जाटव (Updesh Jatav) है वह इसी नाम से जानी व पहचानी जाती है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को अवनी जाटव (Avani Jatav) पुत्री श्री उपदेश जाटव (Updesh Jatav) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

(G-1618)

आवेदक

(उपदेश जाटव)

(Updesh Jatav)

पुत्र—श्री रामदयाल जाटव

पता—किठोंदा, पोस्ट भितरवार,

तहसील भीतरवार, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद खतीब निजामी (Mohammad Khateeb Nijami) पुत्र मोहम्मद अजीज निजामी (Mohammad Ajeej Nijami), निवासी—वार्ड नं. 29, संकट मोचन, पहाड़िया, छतरपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम काशीराम कुशवाहा (Kashiram Kushwaha) पुत्र मतैया कुशवाहा (Mataiya Kushwaha) अंकित है जो गलत है। मेरे अन्य दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम मोहम्मद खतीब निजामी (Mohammad Khateeb Nijami) पुत्र मोहम्मद अजीज निजामी (Mohammad Ajeej Nijami) है। मैं, इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ। अतः प्रकाशन उपरांत मोहम्मद खतीब निजामी (Mohammad Khateeb Nijami) पुत्र मोहम्मद अजीज निजामी (Mohammad Ajeej Nijami) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

प्रार्थी

(मोहम्मद खतीब निजामी)

(Mohammad Khateeb Nijami)

पुत्र—मोहम्मद अजीज निजामी

(Mohammad Ajeej Nijami).

(G-1619)

नाम परिवर्तन

मैं, धनराज राउत, मेरी पुत्री का नाम हिमांशी राउत (Himanshi Raut) है जो उसके दस्तावेजों में अंकित है। परन्तु आधार कार्ड एवं कुछ दस्तावेजों में उसका घर का बोलता नाम पलक राउत (Palak Raut) अंकित हो गया है। अतः इस प्रकाशन के उपरांत मेरी पुत्री के समस्त शासकीय/अद्व्युशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में हिमांशी राउत (Himanshi Raut) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(धनराज राउत)

पता—ग्राम मरकावाडा, पोस्ट मांगुरली, तहसील पांडुरना,

जिला पांडुरना (म.प्र.).

(G-1620)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम उषा भोसले (USHA BHOSLE) पत्नी श्री गोपाल राव भोसले (GOPAL RAO BHOSLE) है। यही नाम मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि समस्त दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम उषा भोसले (USHA BHONSALE) पत्नी श्री गोपाल राव भोसले (GOPAL RAO BHONSALE) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः इस नाम परिवर्तन सूचना उपरांत मुझे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में सही नाम उषा भोसले (USHA BHOSLE) पत्नी श्री गोपाल राव भोसले (GOPAL RAO BHOSLE) पढ़ा—लिखा, जाना—पहचाना व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(उषा भोसले)

(USHA BHONSALE).

पत्नी—श्री गोपाल राव भोसले

(GOPAL RAO BHONSALE)

(G-1621)

नया नाम

(उषा भोसले)

(USHA BHOSLE)

पत्नी—श्री गोपाल राव भोसले

(GOPAL RAO BHOSLE)

पता—साबुन वाली गली, बालाबाई का बाजार,

लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता जी के सेवा अभिलेख में मेरा नाम राहुल आत्मज—श्री रमाकांत आत्मज—श्री कमलचन्द अंकित है। जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि में राहुल पटेल आत्मज—रमाकांत पटेल अंकित है। अतः प्रकाशन उपरांत राहुल पटेल आत्मज—रमाकांत पटेल के नाम से पढ़ा—लिखा एवं पुकारा जाये।

पुराना नाम

(राहुल)

आत्मज—रमाकांत

(G-1622)

नया नाम

(राहुल पटेल)

आत्मज—रमाकांत पटेल,

पता—109, बिलगैया वार्ड, बीना स्टेशन, बीना,

जिला—सागर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री जयश्री के आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग JAUSRI दर्ज हो गई है, जो कि गलत है, मेरी पुत्री जयश्री के नाम की सही स्पेलिंग JAYSHREE है जो कि उसके जन्म प्रमाण—पत्र में दर्ज है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को जयश्री (JAYSHREE) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे।

प्रार्थी
(धर्मन्द्र सिंह)

(G-1623)

पता—345, निरंजनपुर, तह. व जिला इन्दौर (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, किशोर सिंह परिहार आ.— स्व. श्री सुदामा सिंह परिहार, निवासी—231, रोहित नगर, फेस—2, बाबड़िया कलां, भोपाल (म.प्र.) हूं मेरे पुत्र अंशुमन सिंह परिहार (Anshuman Singh Parihar) के स्कूल रिकार्ड में उसका नाम अंशुमन सिंह (Anshuman Singh) दर्ज है, जो कि अपूर्ण है। जबकि वास्तविक एवं सही नाम अंशुमन सिंह परिहार (Anshuman Singh Parihar) जो आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण—पत्र में अंकित है। अतः भविष्य में मेरे पुत्र को सही नाम अंशुमन सिंह परिहार (Anshuman Singh Parihar) से ही जाना एवं पहचाना जावे।

प्रार्थी
(किशोर सिंह परिहार).

(G-1624)

नाम परिवर्तन

मैं, रेवाराम सिरसाम पिता आधार सिरसाम, निवासी—ग्राम गुमतरा पाथरी, तहसील बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम कन्हैया सिरसाम पिता रेवाराम सिरसाम है किन्तु आधार कार्ड में आयुष सिरसाम नाम दर्ज है, जो गलत है। अन्य दस्तावेजों में जैसे—शाला प्रमाण—पत्र, जन्म प्रमाण—पत्र में कन्हैया सिरसाम नाम है, जो सत्य और सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके वास्तविक नाम कन्हैया सिरसाम के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

आवेदक
पिता—रेवाराम सिरसाम.

(G-1625)

नाम परिवर्तन

मैं, जयदीप प्रजापति पुत्र श्री खेमचंद्र प्रजापति, निवासी—बाजार वार्ड, देवरी, तहसील देवरी, जिला सागर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश जय प्रजापति नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं शैक्षिक दस्तावेजों में जगदीश प्रजापति (JAGDISH PRAJAPATI) पुत्र श्री जयदीप प्रजापति नाम दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में जगदीश प्रजापति (JAGDISH PRAJAPATI) पुत्र श्री जयदीप प्रजापति के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

प्रार्थी
(जयदीप प्रजापति)
पुत्र—श्री खेमचंद्र प्रजापति.

(G-1626)

नाम परिवर्तन

मैं, दिनेश दामरे पुत्र जाडिया दामरे, निवासी—वार्ड नं. 4, डोलरिया, तहसील डोलरिया, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम सूजल दामडे (Sujal Damde) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र का सही नाम सूजल दामरे (Sujal Damre) पुत्र दिनेश दामरे है, जो कि सत्य एवं सही है, जो कि उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं उसकी अंकसूची में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम सूजल दामरे (Sujal Damre) पुत्र दिनेश दामरे के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(G-1627)

(दिनेश दामरे).

नाम परिवर्तन

मैं, हरभजन सिंह मिश्रोलिया—आत्मज श्री बिरखा मिश्रोलिया, निवासी—ग्राम पिपरिया अजीत, पोस्ट बर्ड, विदिशा (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम दीपेश मिश्रोलिया (DEEPESH MISHROLIYA) है, त्रुटिवश स्कूल की रकॉलर पंजी में मेरे पुत्र का नाम दीपेश सिंह जाटव हो गया है, अतः प्रकाशन उपरांत मेरा पुत्र अपने सही एवं वास्तविक नाम दीपेश मिश्रोलिया (DEEPESH MISHROLIYA) के नाम से जाना जायेगा एवं सभी शासकीय/अद्वशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का यही नाम रहेगा.

आवेदक

(हरभजन सिंह मिश्रोलिया).

(G-1628)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रदीप त्रिपाठी पुत्र श्री हीरालाल त्रिपाठी, निवासी—ए-07, फ्लैट नं. 605, क्रिशनकुंज बिल्डिंग, शंकेश्वर सिटी सोसायटी, ग्राम जाख्या, जिला इन्दौर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश भूमि त्रिपाठी नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में अनन्या त्रिपाठी (ANANYA TRIPATHI) पुत्री श्री प्रदीप त्रिपाठी नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में अनन्या त्रिपाठी (ANANYA TRIPATHI) पुत्री श्री प्रदीप त्रिपाठी के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(प्रदीप त्रिपाठी)

पुत्र—श्री हीरालाल त्रिपाठी.

(G-1629)

नाम परिवर्तन

मैं, वीरेन्द्र कुमार पुत्र गोरधन, निवासी—मालीबायां, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र आलोक जाट की कक्षा 10 की अंकसूची में त्रुटिवश उसकी माता का सुमन जाट नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसकी माता का सही नाम आशा बाई (AASHA BAI) समस्त दस्तावेजों में दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में उसकी माता का नाम सुमन जाट के स्थान पर आशा बाई के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(सुमन जाट)

(आशा बाई)

(G-1630)

(AASHA BAI)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम यशराज चौहान पिता आकाश चौहान है, निवासी—लुनियापुरा धार, तहसील धार, जिला धार (म.प्र.). मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण—पत्र में सही व वास्तविक नाम यशराज चौहान दर्ज है. जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश युग चौहान अंकित हो गया है, जो गलत है. अतः मेरे पुत्र का पूर्ण नाम यशराज चौहान है, उसे भविष्य में इसी नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जाये.

आवेदक

(G-1631)

आकाश चौहान.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नेहा चौधरी (Neha Choudhary) पुत्री श्री किशोर नामदेव चौधरी मेरा पुत्र वेदान्त चौधरी (Vedant Choudhary) है, जिसका पूर्व में नाम वेदान्त महाजन (Vedant Mahajan) था किंतु मेरा विवाह विच्छेद होने के पश्चात् मेरे पुत्र की कस्टडी मेरे पास है, इसलिये अब मेरे द्वारा उसका नाम परिवर्तित कर वेदान्त चौधरी (Vedant Choudhary) पुत्र नेहा चौधरी (Neha Choudhary) कर लिया गया है. अब मेरा पुत्र इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को वेदान्त चौधरी (Vedant Choudhary) पुत्र नेहा चौधरी (Neha Choudhary) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

आवेदिका

नेहा चौधरी

(Neha Choudhary)

पता—डी.के.5/90, दानिश कुंज,

कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.).

(G-1632)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का आम बोलचाल एवं बचपन का पुकारे जाना वाला नाम प्रिंस जायसवाल है, जो कि उसके आधार कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेज में दर्ज है एवं उसका वास्तविक नाम गोविन्द जायसवाल है जो उसकी जन्म कुंडली एवं राशन कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत वर्तमान एवं भविष्य में मेरे पुत्र को उसके वास्तविक नाम गोविन्द जायसवाल (GOVIND JAISWAL) के नाम से जाना व पहचाना जाये.

गोविन्द जायसवाल

अवयस्क तर्फ माता रिंकी जायसवाल

पता—15, पालिया कला, राम मंदिर के पास,

नागदा, जिला—उज्जैन (म.प्र.).

(G-1633)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम रिशंत रघुवंशी (Rishant Raghuveshi) दर्ज हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम रिशान रघुवंशी (Rishan Raghuveshi) है तथा उसे इसी नाम से ही जाना व पहचाना जावेगा.

आवेदिका

पवित्रा

पति—श्याम रघुवंशी

पता—707, पंचवटी कालोनी, तलावली चांदा,

मांगलिया, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1634)

नाम परिवर्तन

मैं, धर्मेन्द्र चौधरी पिता श्री राम दयाल अहिरवार, निवासी—शंकरगढ़ रजाखेड़ी, तहसील व जिला सागर (म.प्र.). मैं, मेरे शासकीय सेवा अभिलेख में मेरा नाम धर्मेन्द्र चौधरी दर्ज हो गया है, जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम धर्मेन्द्र कुमार अहिरवार लिखा है। अतः मुझे अब धर्मेन्द्र कुमार अहिरवार के नाम से ही जाना—पहचाना जाये और मेरे सेवा अभिलेख में भी मेरा नाम धर्मेन्द्र कुमार अहिरवार दर्ज किया जावे।

आवेदक

(G-1635)

धर्मेन्द्र कुमार अहिरवार।

नाम परिवर्तन

मैं, सुनीता महोबे पति मिथ्लेश कुमार महोबे, निवासी—जगदम्बा नगर, जसवाड़ी रोड, खण्डवा, तह. व जिला खण्डवा (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सुनीता दर्ज हो गया है, जो कि गलत है। जबकि मेरा सही नाम सुनीता महोबे (Sunita Mahobe) है, जो कि सत्य एवं सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम सुनीता महोबे (Sunita Mahobe) पति मिथ्लेश कुमार महोबे के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

आवेदिका

(G-1636)

सुनीता महोबे।

नाम परिवर्तन

मैं, पार्वती पवार (Parvatee Pawar) पत्नी श्री राम बिलास पवार (Ram Bilas Pawar), निवासी—390-65, वार्ड नं. 17, श्यामा नगर कॉलोनी, हरदा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड/दस्तावेजों में मेरा नाम पार्वती पवार (Parvatee Pawar) पत्नी श्री रामविलास पवार (Ramvilash Pawar) अंकित है, अर्थात् पति के नाम की स्पेलिंग सही नहीं है, मेरे पति के दस्तावेजों के अनुसार उनके नाम की सही स्पेलिंग राम बिलास पवार (Ram Bilas Pawar) है, और मेरा सही नाम पार्वती पवार (Parvatee Pawar) पत्नी श्री राम बिलास पवार (Ram Bilas Pawar) है। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे पार्वती पवार (Parvatee Pawar) पत्नी श्री राम बिलास पवार (Ram Bilas Pawar) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—सुना—समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

पुराना नाम

(पार्वती पवार)

(Parvatee Pawar)

पत्नी—श्री रामविलास पवार

(Ramvilash Pawar)

(G-1637)

नया नाम

(पार्वती पवार)

(Parvatee Pawar)

पत्नी—श्री राम बिलास पवार

(Ram Bilas Pawar)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनीता (Sunita) पत्नी श्री मनोज साहू (Manoj Sahu), मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सरिता साहू (Sarita Sahu) पत्नी श्री मनोज साहू (Manoj Sahu) अंकित है और मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरे नाम के साथ जाति साहू (Sahu) अंकित है किंतु अब मैं, अपना नाम परिवर्तित कर सुनीता (Sunita) पत्नी श्री मनोज साहू (Manoj Sahu) कराना चाहती हूँ। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे सुनीता (Sunita) पत्नी श्री मनोज साहू (Manoj Sahu) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—सुना—समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

पुराना नाम

(सरिता साहू)

(Sarita Sahu)

पत्नी—श्री मनोज साहू

(Manoj Sahu)

(G-1638)

नया नाम

(सुनीता)

(Sunita)

पत्नी—श्री मनोज साहू

(Manoj Sahu)

नाम परिवर्तन

मैं, बृजेन्द्र सिंह गहरवार (Brijendra Singh Gaharwar) पुत्र श्री तिलक राज सिंह (Tilak Raj Singh), निवासी— वार्ड नं. 09, कोल्हुआरू, अमिलकी 25, जिला रीवा (म.प्र.). मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम कृष्णबक्स सिंह (Krishnabux Singh) पुत्र श्री तिलक राज सिंह (Tilak Raj Singh) अंकित है, किंतु मेरा सही नाम बृजेन्द्र सिंह गहरवार (Brijendra Singh Gaharwar) पुत्र श्री तिलक राज सिंह (Tilak Raj Singh) है। मेरा यही नाम प्रचलन में है, उपरोक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के अर्थात् एक ही व्यक्ति के हैं जो कि मैं स्वयं हूँ। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे बृजेन्द्र सिंह गहरवार (Brijendra Singh Gaharwar) पुत्र श्री तिलक राज सिंह (Tilak Raj Singh) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

नया नाम

(बृजेन्द्र सिंह गहरवार)
(Brijendra Singh Gaharwar)

पुत्र—श्री तिलक राज सिंह
(Tilak Raj Singh)

(G-1639)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम बतेशिया बाई अहिरवार पत्नी श्री पुरुषोत्तम अहिरवार है। मेरा घर का नाम मुन्नी बाई पत्नी श्री पुरुषोत्तम अहिरवार एवं पुत्री बिल्ला अहिरवार है। यह दोनों नाम मेरे ही हैं। मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा सही नाम बतेशिया बाई अहिरवार पत्नी श्री पुरुषोत्तम अहिरवार चला आ रहा है। त्रुटिवश मेरे पिताजी बिल्ला अहिरवार के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम मुन्नी बाई पुत्री बिल्ला अहिरवार हो गया है। मुझे मेरे सही नाम बतेशिया बाई अहिरवार पत्नी श्री पुरुषोत्तम अहिरवार पुत्री श्री बिल्ला अहिरवार के नाम से जाना व पहचाना जावे।

आवेदिका

(G-1640)

बतेशिया बाई अहिरवार
पत्नी—श्री पुरुषोत्तम अहिरवार।

नाम परिवर्तन

मैं, लाभांशी तिवारी पुत्री दयाशंकर तिवारी, निवासी—196 ए, व्यंकटेश विहार, नियर प्रगति स्कूल इन्दौर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश काजल तिवारी नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे शैक्षिक दस्तावेजों में लाभांशी तिवारी (LABHANSI TIWARI) पुत्री दयाशंकर तिवारी नाम दर्ज है, जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में लाभांशी तिवारी (LABHANSI TIWARI) पुत्री दयाशंकर तिवारी के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(काजल तिवारी)

नया नाम
(लाभांशी तिवारी)
(LABHANSI TIWARI)

पुत्री—दयाशंकर तिवारी।

(G-1641)

नाम परिवर्तन

मैं, अजय कुमार शुक्ला पिता नागेश्वर प्रसाद शुक्ला, निवासी—प्लाट नंबर—9, साईंट टेंट हाउस के पास, जय प्रकाश नगर, अधारताल जबलपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम कायरा शुक्ला दर्ज है, जो गलत है। अतः मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण—पत्र में (KESHVI SHUKLA) दर्ज है, जो सही है। अतः प्रकाशन के उपरांत मेरी पुत्री को केशवी शुक्ला के नाम से ही जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जाये।

(G-1642)

प्रार्थी
अजय कुमार शुक्ला
पिता नागेश्वर प्रसाद शुक्ला।

नाम परिवर्तन

मैं, दीपेन्द्र कुमार चतुर्वेदी पुत्र नगेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, निवासी—ग्राम टेहरका खास, तहसील व जिला निवाड़ी (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अवनी दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसका सही नाम भूमि चतुर्वेदी है, जो कि उसके जन्म प्रमाण—पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम भूमि चतुर्वेदी (Bhumi Chaturvedi) पुत्री दीपेन्द्र कुमार चतुर्वेदी के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(G-1643)

दीपेन्द्र कुमार चतुर्वेदी.

नाम परिवर्तन

मैं, प्रभात प्रजापति पुत्र मान सिंह प्रजापति, निवासी—सुदामा नगर गंज, जिला सीहोर (म.प्र.). यह कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में पप्पू प्रजापति नाम गलत दर्ज है, जबकि मेरे अन्य समस्त दस्तावेजों में प्रभात प्रजापति पुत्र मान सिंह प्रजापति दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में प्रभात प्रजापति (PRABHAT PRAJAPATI) पुत्र मान सिंह प्रजापति के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(पप्पू प्रजापति)

नया नाम
(प्रभात प्रजापति)
(PRABHAT PRAJAPATI)
पुत्र—मान सिंह प्रजापति.

(G-1644)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रमेश चन्द्र पुत्र शंकर लाल, निवासी—मकान नं. 10/3, राजभवन परिसर, भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम रमेश चन्द्र (Ramesh Chandra) पिता शंकर लाल लिखा है और कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम दर्ज है, जबकि मेरे सेवा अभिलेख में मेरा नाम रमेश चन्द्र जांगड़े दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम रमेश चन्द्र (Ramesh Chandra) पिता शंकर लाल के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रमेश चन्द्र जांगड़े)
पिता—शंकर लाल

नया नाम
(रमेश चन्द्र)
(Ramesh Chandra)
पिता—शंकर लाल.

(G-1645)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भारत सिंह कनास्या पुत्र इंदर सिंह कनास्या, निवासी—194, कुम्हार गडडा, दिलावरा रोड, जिला धार (म.प्र.). यह कि मेरे शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम भारत सिंह कनास्या पिता इंदर सिंह कनास्या दर्ज है परन्तु मेरे शासकीय सेवा रिकार्ड में मेरा नाम भारत सिंह पिता इंदर सिंह दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम भारत सिंह कनास्या पिता इंदर सिंह कनास्या के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(भारत सिंह)
पिता—इंदर सिंह

नया नाम
(भारत सिंह कनास्या)
पिता—इंदर सिंह कनास्या

(G-1646)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि त्रुटिवश मेरे सभी शैक्षणिक, शासकीय अभिलेख एवं आधार कार्ड में मेरा नाम धर्मेन्द्र यादव (DHARMENDRA YADAV) अंकित हो गया है. यह कि मेरा सही नाम धर्मेन्द्र सिंह ठाकुर (DHARMENDRA SINGH THAKUR) है तथा मेरे जन्म प्रमाण—पत्र में भी मेरा नाम धर्मेन्द्र सिंह ठाकुर (DHARMENDRA SINGH THAKUR) अंकित है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरान्त से मुझे धर्मेन्द्र सिंह ठाकुर (DHARMENDRA SINGH THAKUR) आत्मज—श्री भवर सिंह ठाकुर (BHAWAR SINGH THAKUR) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा जाए तथा मेरे शैक्षणिक एवं शासकीय अभिलेख में धर्मेन्द्र यादव (DHARMENDRA YADAV) के स्थान पर धर्मेन्द्र सिंह ठाकुर (DHARMENDRA SINGH THAKUR) नाम दर्ज किया जाए.

पुराना नाम
(धर्मेन्द्र यादव)
(DHARMENDRA YADAV)
(G-1647)

नया नाम
(धर्मेन्द्र सिंह ठाकुर)
(DHARMENDRA SINGH THAKUR)
पता—78, शारदा नगर कॉलोनी, रतलाम रोड,
नौगांव, जिला—धार (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मेरे दस्तावेजों में त्रुटिवश हेमराज वर्मा अंकित हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक एवं प्रचलित उपनाम हेमराज पटेल है. अर्थात् मेरा नाम समस्त दस्तावेजों में हेमराज पटेल कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त से मुझे हेमराज पटेल के नाम से ही जाना व पहचाना जायेगा.

(G-1648)

प्रार्थी
हेमराज पटेल
पिता—अनसिंग पटेल
निवासी—संजय नगर, धार (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मेरे दस्तावेजों में त्रुटिवश संजय मोरे अंकित हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक एवं प्रचलित उपनाम संजय यादव है. अर्थात् मेरा नाम समस्त दस्तावेजों में संजय यादव कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त से मुझे संजय यादव के नाम से ही जाना व पहचाना जायेगा.

(G-1649)

प्रार्थी
संजय यादव
पिता—गणपत सिंह यादव,
निवासी—89, शांति कुंज कॉलोनी, धार (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, रितिका तिवारी पुत्री राजकुमार तिवारी, निवासी—ग्राम गड़ेहरा, पोस्ट देवखर, तहसील जवा, जिला रीवा (म.प्र.). आधार कार्ड में त्रुटिवश खुशी तिवारी (KHUSHI TIWARI) नाम दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में रितिका तिवारी (RITIKA TIWARI) पुत्री राजकुमार तिवारी, नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में रितिका तिवारी (RITIKA TIWARI) पुत्री राजकुमार तिवारी के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(खुशी तिवारी)
(KHUSHI TIWARI)
(G-1650)

नया नाम
(रितिका तिवारी)
(RITIKA TIWARI)
पुत्री—राजकुमार तिवारी.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम लता बाई चौहान (LATA BAI CHOUHAN) अंकित है और कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम प्रेमलता (PREMLATA) दर्ज है। अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम प्रेमलता (PREMLATA) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जाए।

पुराना नाम (लता बाई चौहान) (LATA BAI CHOUHAN) (G-1651)	नया नाम (प्रेमलता) (PREMLATA) पत्नी—श्री प्रेम सिंह, निवासी—तह. बाडी, ग्राम गूगलवाड़ा, जिला रायसेन (म.प्र.)。
--	--

नाम परिवर्तन

मैं, मोहन सिंह पुत्र गोरेलाल, निवासी—ग्राम बादलखेड़ी, राजगढ़ (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र राजकुमार वर्मा के कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम मोहनलाल एवं मोहनलाल वर्मा दर्ज है। जबकि मेरा सही नाम मोहन सिंह (MOHAN SINGH) पुत्र गोरेलाल है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में राजकुमार वर्मा (पिता) मोहन सिंह (माता) कमला बाई के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

(G-1652)	प्रार्थी मोहन सिंह पुत्र—गोरेलाल。
----------	---

नाम परिवर्तन

मैं, ओम भास्कर कुशवाहा (OM BHASKAR KUSHWAHA) पुत्र श्री भारत भूषण कुशवाहा, निवासी—ग्राम अमिलिया, पोर्ट चंदपुर, त्योंथर, रीवा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश ओमभास्कर (OMBHASKAR) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में ओम भास्कर कुशवाहा (OM BHASKAR KUSHWAHA) पुत्र श्री भारत भूषण कुशवाहा, नाम दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में ओम भास्कर कुशवाहा (OM BHASKAR KUSHWAHA) पुत्र श्री भारत भूषण कुशवाहा के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम (ओमभास्कर) (OMBHASKAR) (G-1653)	नया नाम (ओम भास्कर कुशवाहा) (OM BHASKAR KUSHWAHA) पुत्र—श्री भारत भूषण कुशवाहा।
--	---

नाम परिवर्तन

मैं, ब्रज भूषण नायक पिता स्व. विद्रावन नायक, निवासी—ग्राम रामपुर, तहसील पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी (म.प्र.). मेरा नाम ब्रज भूषण नायक है एवं मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य शासकीय रिकार्ड पर मेरा नाम ब्रज भूषण नायक अंकित है जो कि सही व सत्य तथा मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम ब्रज किशोर नायक दर्ज हो गया है जो कि गलत नाम है। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे ब्रज किशोर नायक के स्थान पर सही नाम ब्रजभूषण नायक पढ़ा—लिखा एवं पुकारा जावे।

पुराना नाम (ब्रज किशोर नायक) (BRAJ KISHORE NAYAK) (G-1654)	नया नाम (ब्रज भूषण नायक) (BRAJ BHUSHAN NAYAK)
--	--

नाम परिवर्तन

मैं, कृष्णकान्त तिवारी पिता स्व.—श्री जवाहरलाल तिवारी, निवासी—विन्ध्य चेम्बर ऑफ कामर्स के पीछे, मुख्यारगंज, सतना, तहसील रघुजराजनगर, जिला सतना (म.प्र.). मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम कृष्णकान्त तिवारी दर्ज है लेकिन मेरी पुत्री श्रेया तिवारी के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम भूलवस के के. तिवारी गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरे गलत नाम के. के. तिवारी के स्थान पर कृष्णकान्त तिवारी दर्ज किया जाय और मुझे सही नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जाय।

(G-1655)

प्रार्थी
कृष्णकान्त तिवारी।

नाम परिवर्तन

मैं, माया दिसोरिया पत्नी राजकुमार दिसोरिया, निवासी—म.नं. 6. छोला रोड, एकता नगर, राधाकृष्ण कालोनी, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश कुलदीप कार्तिक (KULDEEP KARTIK) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण—पत्र में कार्तिक दिसोरिया (KARTIK DISORIYA) पुत्र श्री राजकुमार दिसोरिया, नाम दर्ज है, जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में कार्तिक दिसोरिया (KARTIK DISORIYA) पुत्र श्री राजकुमार दिसोरिया, के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(कुलदीप कार्तिक)

(कार्तिक दिसोरिया)

(KULDEEP KARTIK)

(KARTIK DISORIYA)

(G-1656)

पुत्र—श्री राजकुमार दिसोरिया।

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व का नाम मोहनरानी आठया था। जो कि मेरे आधार कार्ड में अंकित है। अब मैंने नाम परिवर्तित कर लिया है। जो कि मेरे वोटर कार्ड, मेरी पुत्री के अंकसूची में भी दर्ज है। अब मेरा नाम प्रियंका आठया पत्नी श्री बब्लू आठया, निवासी—1123, नवीन छावनी पठार, रायसेन रोड, कोलुआ खुर्द, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). के नाम से ही जानी एवं पहचानी जाऊंगी है।

प्रार्थिनी
प्रियंका आठया
पत्नी—श्री बब्लू आठया।

(G-1657)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गजेन्द्र (GAJENDRA) पिता श्री वीरिनद्रावन (VIRINDAVAN), निवासी—वार्ड क्रमांक 09, जवाहर लाल नेहरू, न्यू बरौंधा (व्यौहारी) शहडोल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश गजेन्द्र सिंह पिता श्री वृंदावन अंकित हो गया है, जबकि अंकसूची एवं समस्त दस्तावेजों में मेरा वास्तविक नाम गजेन्द्र (GAJENDRA) पिता श्री वीरिनद्रावन (VIRINDAVAN) है। अतः प्रकाशन उपरांत से मुझे गजेन्द्र (GAJENDRA) पिता श्री वीरिनद्रावन (VIRINDAVAN) के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(गजेन्द्र सिंह)

(गजेन्द्र)

पिता—श्री वृंदावन

(GAJENDRA)

(GAJENDRA)

पिता—श्री वीरिनद्रावन

(G-1658)

(VIRINDAVAN).

नाम परिवर्तन

मैं, कुमेर सिंह श्री अमर सिंह, निवासी—म.न. 7/1, तह. राजगढ़ (म.प्र.). मेरे शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में नाम व सरनेम दुलेसिंह (DULE SINGH) पुत्र श्री अमर सिंह (AMAR SINGH) हैं। व अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम कुमेर सिंह (KUMER SINGH) पुत्र श्री अमर सिंह (AMAR SINGH) हैं। मैं, भविष्य में कुमेर सिंह (KUMER SINGH) पुत्र श्री अमर सिंह (AMAR SINGH) के नाम व सरनेम से जाना—पहचाना जाऊंगा।

प्रार्थी

कुमेर सिंह

KUMER SINGH

पुत्र—श्री अमर सिंह
(AMAR SINGH).

(G-1659)

नाम परिवर्तन

मैं, किंजल चौहान पुत्री श्री मुकेश चौहान, निवासी—म.नं. 382, सत्यदेव मार्ग, कन्नौद, जिला देवास (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम किंजल चौहान (KINJAL CHOUHAN) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम कीर्ति चौहान हो गया है, अब मैं, अपने वास्तविक व नये नाम किंजल चौहान (KINJAL CHOUHAN) के नाम से जानी जाऊंगी एवं सभी शासकीय/अद्वशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा।

पुराना नाम

(कीर्ति चौहान)

(KIRTI CHOUHAN)

(G-1660)

नया नाम

(किंजल चौहान)

(KINJAL CHOUHAN).

नाम परिवर्तन

मैं, कालू सिंह आत्मज—श्री जगन्नाथ, निवासी—ग्राम चाटूखेड़ा, पोस्ट चाटूखेड़ा, जिला राजगढ़ (म.प्र.). यह कि मेरा वास्तविक नाम कालू सिंह (KALU SINGH) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम गजराज सिंह हो गया है, अब मैं, अपने वास्तविक व नये नाम कालू सिंह (KALU SINGH) के नाम से जाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय/अद्वशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा।

पुराना नाम

(गजराज सिंह)

(GAJRAJ SINGH)

(G-1661)

नया नाम

(कालू सिंह)

(KALU SINGH)

नाम परिवर्तन

मैं, अमर लाल आत्मज—श्री मूलचंद, निवासी—ग्राम नहरिया बरीछीरखेड़ा, बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम अमर लाल (AMAR LAL) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम कृष्ण कुमार पांडे हो गया है, अब मैं, अपने वास्तविक व नये नाम अमर लाल (AMAR LAL) के नाम से जाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय/अद्वशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा।

पुराना नाम

(कृष्ण कुमार पांडे)

(KRISHNA KUMAR PANDEY)

(G-1662)

नया नाम

(अमर लाल)

(AMAR LAL).

नाम परिवर्तन

मैं पप्पू आदिवासी आत्मज—श्री रामदास, निवासी—ग्राम नहारिया, भौंरासा बैरसिया, जिला भोपाल. यह कि मेरा वास्तविक नाम पप्पू आदिवासी (PAPPU ADIVASI) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम चंद्र पाल राठौड़ हो गया है, अब मैं, अपने वास्तविक व नये नाम पप्पू आदिवासी (PAPPU ADIVASI) के नाम से जाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम
चंद्र पाल राठौड़
(CHANDRA PAL RATHORE)
(G-1663)

नया नाम
पप्पू आदिवासी
(PAPPU ADIVASI)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामदयाल, आत्मज—श्री किशोरीलाल, निवासी—247 मोहल्ला, ग्राम कालापीपल, शाजापुर (म.प्र.). यह कि मेरा वास्तविक नाम रामदयाल (RAMDAYAL) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम प्रेम सिंह हो गया है, अब मैं, अपने वास्तविक व नये नाम रामदयाल (RAMDAYAL) के नाम से जाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम
प्रेमसिंह
(PREM SINGH)
(G-1664)

नया नाम
रामदयाल
(RAMDAYAL)

नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शिवनारायण विश्वकर्मा, आत्मज—शंकरलाल विश्वकर्मा, निवासी—ग्राम खनौटा, तहसील ब्यौरा, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम, शिवनारायण विश्वकर्मा (SHIVNARAYAN VISHWKRMA) है, त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरा नाम भगवान सिंह सोंधिया हो गया है, अब मैं, अपने वास्तविक व नये नाम शिवनारायण विश्वकर्मा (SHIVNARAYAN VISHWKRMA) के नाम से जाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम
भगवान सिंह सोंधिया
(G-1665)

नया नाम
शिवनारायण विश्वकर्मा
(SHIVNARAYAN VISHWKRMA)

नाम परिवर्तन

मैं, रामेश्वरलाल डी सोनी (Rameshwarlal D Soni) पिता देविकिशन भखतावरमल सोनी एवं रामेश्वर माहेश्वरी (Rameshwar Maheshwari) पिता देविकिशन भखतावरमल सोनी, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं. भविष्य में रामेश्वरलाल डी सोनी (Rameshwarlal D Soni) के नाम से जाना व पहचाना जाएगा.

पुराना नाम
रामेश्वर माहेश्वरी
(Rameshwa Maheshwari)
(G-1666)

नया नाम
रामेश्वरलाल डी सोनी
(Rameshwarlal D Soni)
पिता—देविकिशन भखतावरमल सोनी
पता—वार्ड नं. 16, गुजरी चौक,
बालाघाट, तह. व जिला—बालाघाट.

नाम परिवर्तन

मैं, गीता सोनी (Geeta Soni) पति रामेश्वर सोनी एवं गीता माहेश्वरी (Geeta Maheshwari) पति रामेश्वर सोनी, दोनों मेरे ही नाम हैं जो भविष्य में अब गीता सोनी (Geeta Soni) के नाम से जानी व पहचानी जाएगी।

पुराना नाम गीता माहेश्वरी (Geeta Maheshwari) पति—रामेश्वर माहेश्वरी	नया नाम गीता सोनी (Geeta Soni) पति—रामेश्वर सोनी पता—वार्ड नं. 16, गुजरी चौक, बालाधाट, तह. व जिला—बालाधाट।
(G-1667)	

नाम परिवर्तन

मैं, स्वप्निल पिता चिंतामन जूनागडे, निवासी—41, न्यू आदर्श कॉलोनी, लाल बाग रोड, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में स्वप्निल पिता चिंतामन जूनागडे के स्थान पर स्वप्निल पिता सुनील जूनागडे हो गया है जो कि गलत है। जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में स्वप्निल पिता चिंतामन जूनागडे दर्ज है जो कि सही एवं सत्य है। अतः भविष्य में सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे सही नाम स्वप्निल पिता चिंतामन जूनागडे के नाम से जाना व पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे।

पुराना नाम स्वप्निल (Swapnil) पिता—सुनील जूनागडे (Sunil Junagade)	नया नाम स्वप्निल (Swapnil) पिता—चिंतामन जूनागडे (Chintaman Junagade)
(G-1668)	

नाम परिवर्तन

मैं, सीमा (SEEMA) पति श्री सुरेश कुमार पटेल (SURESH KUMAR PATEL) पता—मकान नं. 68, ग्राम नुनसर पो. नुनसर, ग्राम पंचायत नुनसर, तह. पाटन, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज में मेरा नाम बबली पटेल दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरा सही नाम सीमा (SEEMA) है। उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम सीमा (SEEMA) पति श्री सुरेश कुमार पटेल (SURESH KUMAR PATEL) नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम बबली पटेल पति—श्री सुरेश कुमार पटेल	नया नाम सीमा (SEEMA) पति—श्री सुरेश कुमार पटेल (SURESH KUMAR PATEL)
(G-1669)	

आम सूचना

M/S ADITYA HOTEL AND RESORT BAMHORI TIGGADA, JHANSI ROAD, सागर, सागर, 470002 फर्म जिसका पंजीयन असिस्टेंट रजिस्टर फर्म एवं सोसायटी सागर (म.प्र.) द्वारा पंजीयन क्रमांक 06/09/01/0138/25 दिनांक 27 फरवरी 2025 को किया गया एवं इस फर्म का भागीदारी विलेख दिनांक 14/12/2017 को लिखा गया जिसके अनुसार निम्नांकित पार्टनर थे— 1. Shri Prafull Tiwari 2. Shri Manish Tiwari 3. Shri Sanjeev Jadiya 4. Shri Chandra Prakash Sharma उपरोक्त इस फर्म के पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ने पर फर्म को पुनः पुनर्गठित करने की कार्यवाही की जा रही है। जिसमें कि दिनांक 23/10/2024 को भागीदार Shri Chandra Prakash Sharma फर्म से स्वेच्छा से प्रथक हो गए हैं व Shri Kunal Sharma फर्म के नए पार्टनर बन गए हैं जिसके अनुसार दिनांक 23/10/2024 से निम्नांकित भागीदार रहेंगे। 1. Shri Prafull Tiwari 2. Shri Manish Tiwari 3. Shri Sanjeev Jadiya 4. Shri Kunal Sharma। उपरोक्त विवरण जन साधारण के संज्ञान में लाने बावत् इश्तहार जारी किया जा रहा है।

(G-1670)	M/S ADITYA HOTEL AND RESORT Prafull Tiwar (Partner).
-----------------	---

नाम परिवर्तन

मैं, लक्ष्मीदेवी अहिरवार पत्नी स्व. देवीदयाल अहिरवार, मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अद्वृशासकीय/अन्य दस्तावेजों में उसका नाम जयनारायण सिंह अहिरवार अंकित है, परंतु उनके पिता के सर्विस रिकॉर्ड्स में उनका नाम जयनारायण सिंह अंकित है। जयनारायण सिंह अहिरवार व जयनारायण सिंह एक ही व्यक्ति के नाम हैं, याने कि मेरे पुत्र के, इस प्रकाशन के बाद मेरे पुत्र के समस्त शासकीय/अद्वृशासकीय तथा अन्य सभी दस्तावेजों में जयनारायण सिंह अहिरवार लिखा—पढ़ा एवं पुकारा जाए।

प्रार्थी

लक्ष्मीदेवी अहिरवार

पत्नी—स्व. देवीदयाल अहिरवार

(G-1671)

पता—मकान नं. 481, वार्ड क्र. 13, इटारसी, इंद्र नगर,
न्यू यार्ड, मेहरा गांव, होशंगाबाद।

CHANGE OF NAME

SMT. SEETA KSHETREE W/o MR. GANESHBAHADUR KSHETREER, I do hereby declare that in my Aadhaar my name mentioned as SEETA KSHETREE and now I have changed my name from SMT. SEETA KSHETREE to PEMAYA PADHYA and now I will be known as SMT. PEMAYA PADHYA W/o MR. GANESH BAHADUR KSHETREE R/o House No. C-11, 18th Batalian, SAF Chandanpura, Shivpuri (M.P.).

New Name

(G-1672)

(PEMAYA PADHYA)

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है हमारी फर्म में राजहंस ट्रेडर्स (M/S RAJHANS TRADERS) के नाम से एक भागीदारी फर्म है जिसका पंजीयन क्र. 04/17/01/0310/24 दिनांक 04/03/2024 है।

इस फर्म से दिनांक 04/03/2025 को चार भागीदार (1) श्री पंकज कुमार जुनेजा पिता श्री कुन्दनलाल जुनेजा निवासी वार्ड नं 14 गुजराती भवन के पास, नई आबादी, छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.). (2) श्री कौशल किशोर चौरासिया पिता श्री नन्दकिशोर चौरासिया निवासी—वार्ड नं. 37, राम मंदिर के पीछे, चुना गंली छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) (3) श्री नितिन सिंह राजपूत पिता श्री कामेश्वर सिंह राजपूत निवासी वार्ड नं. 22, शारदा मंदिर के पीछे, गुलाबरा, छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) (4) श्री मनोज कुमार सूर्यवंशी पिता श्री बलदेव सूर्यवंशी निवासी वार्ड नं. 12, बसंत कालोनी छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.). शामिल हो रहे हैं। अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 04/03/2025 से संशोधन उपरांत सात साझेदार रहेंगे।

फर्म मे. राजहंस ट्रेडर्स

अमित सिंह

(भागीदार).

(G-1673)

नाम परिवर्तन

मेरा वास्तविक व सही नाम आयशा बी (AYASHA BEE) पति अब्दुल रहमान है, जो कि मेरे वोटर कार्ड एवं पेन कार्ड पर दर्ज है किन्तु मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम आयशिया बी (AISHIYA BEE) दर्ज हो गया है। अतः भविष्य में आयशिया बी के रथान पर मेरा सही नाम आयशा बी (AYASHA BEE) पति अब्दुल रहमान लिखा—पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम

(आयशिया बी)

(AISHIYA BEE)

(G-1674)

नया नाम

(आयशा बी)

(AYASHA BEE)

पति—अब्दुल रहमान

पता—259/2 जूना रिसाला, गली नं. 02, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का वास्तविक व सही नाम बानी मोहनवानी (BAANI MOHANWANI) है जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र एवं उसके शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है. किन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर त्रुटीवश उसका नाम बानी करिश्मा मोहनवानी (BAANI KARISHMA MOHANWANI) दर्ज हो गया है. अतः भविष्य में मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजों पर बानी करिश्मा मोहनवानी के स्थान पर उसका सही नाम बानी मोहनवानी (BAANI MOHANWANI) लिखा-पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम (बानी करिश्मा मोहनवानी) (BAANI KARISHMA MOHANWANI) (G-1675)	नया नाम (बानी मोहनवानी) (BAANI MOHANWANI) माता—करिश्मा मोहनवानी पता—71/1, पैलेस कॉलोनी, माणिक बाग रोड, इन्दौर, (म.प्र.).
--	--

नाम परिवर्तन

मेरा वास्तविक व सही नाम रविन्द्र जारवाल (RAVINDRA JARWAL) पिता श्री बिहारीलाल जारवाल है, जो कि मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं पेन कार्ड पर दर्ज है किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटीवश मेरा नाम रविन्द्र (RAVINDRA) कुछ पर रविन्द्र कुमार जारवाल (RAVINDRA KUMAR JARWAL) पिता बिहारीलाल दर्ज हो गया है. अतः भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर रविन्द्र एवं रविन्द्र कुमार जारवाल के स्थान पर रविन्द्र जारवाल (RAVINDRA JARWAL) पिता श्री बिहारीलाल जारवाल लिखा-पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम (रविन्द्र कुमार जारवाल) (RAVINDRA KUMAR JARWAL) (G-1676)	नया नाम (रविन्द्र जारवाल) (RAVINDRA JARWAL) पिता—श्री बिहारीलाल जारवाल पता—377, कुलकर्णी का भट्टा, इन्दौर (म.प्र.).
---	--

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरी पुत्री का नाम शिवांशी वर्मा (SHIVANSI VERMA) पिता श्री रविन्द्र वर्मा था जो कि उसके आधार कार्ड, पासपोर्ट एवं शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है. किन्तु मैंने मेरी पुत्री का नाम परिवर्तित कर अविघ्ना वर्मा (AVIGHNA VERMA) पिता श्री रविन्द्र वर्मा कर लिया है. अतः भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अद्वशासकीय दस्तावेजों पर उसका परिवर्तित नाम अविघ्ना वर्मा (AVIGHNA VERMA) पिता श्री रविन्द्र वर्मा लिखा-पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम (शिवांशी वर्मा) (SHIVANSI VERMA) (G-1677)	नया नाम (अविघ्ना वर्मा) (AVIGHNA VERMA) पिता—श्री रविन्द्र वर्मा पता—शिवोहम, 305, 3rd फ्लोर, गायत्री कुंज, मॉ विहार कॉलोनी के पास, इन्दौर, (म.प्र.).
--	--

नाम परिवर्तन

मेरा वास्तविक व सही नाम ललितमोहन चौरसिया (LALITMOHAN CHAURASIYA) पिता श्री किशोरलाल चौरसिया है, जो कि मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं पेन कार्ड पर दर्ज है किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा नाम ललित चौरसिया (LALIT CHAURASIA) पिता श्री किशोरलाल चौरसिया दर्ज हो गया है, अतः भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर ललित चौरसिया के स्थान पर ललितमोहन चौरसिया (LALITMOHAN CHAURASIYA) पिता श्री किशोरलाल चौरसिया लिखा—पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(ललित चौरसिया)

(LALIT CHAURASIA)

(G-1678)

नया नाम

(ललितमोहन चौरसिया)

(LALITMOHAN CHAURASIYA)

पिता—श्री किशोरलाल चौरसिया

पता—ए/2, विध्यांचल नगर, ऐरोड़म रोड, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम किरण बाला जैन (KIRAN BALA JAIN) पिता श्री अजीत कुमार जैन था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है, श्री हेमंत पालविया से विवाह के उपरान्त मेरा नाम किरण पालविया (KIRAN PALVIYA) पति श्री हेमंत पालविया हो गया है, जो मेरे आधार कार्ड, पासपोर्ट एवं पेन कार्ड पर अंकित है, अतः भविष्य में मुझे किरण पालविया (KIRAN PALVIYA) पति श्री हेमंत पालविया के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(किरण बाला जैन)

(KIRAN BALA JAIN)

(G-1679)

नया नाम

(किरण पालविया)

(KIRAN PALVIYA)

पति—श्री हेमंत पालविया

पता — 9, स्वप्नलोक कॉलोनी, इंदौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, छोटीबाई (लक्ष्मीबाई) पुत्री स्व. श्री श्यामलाल मीना (पत्नी श्री बाबूलाल), निवासी—मकान नं. बी 120, सेमरी कला, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे शुरू से ही छोटी बाई व लक्ष्मी बाई दोनों नाम मेरे हैं तथा मेरे आधार कार्ड तथा वोटर आई.डी. में मेरा नाम छोटीबाई दर्ज है, जो सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय—अशासकीय एवं राजस्व अभिलेखों में मेरा नाम छोटीबाई पुत्री श्यामलाल मीना (पत्नी बाबूलाल) पढ़ा व दर्ज करवाया जावे. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

प्रार्थिनी

छोटी बाई

(G-1680)

नाम परिवर्तन

मैं, लोकेश पालीवाल पुत्र श्री रमेशचंद्र पालीवाल निवासी—फ्लैट मं. ए—105, एसएस इन्फिनिटीस, एम.आर.—11, लसुडिया, इन्दौर (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम निर्वेद पालीवाल दर्ज हो गया है जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र का सही नाम नयन पालीवाल (Nayan Paliwal) पुत्र लोकेश पालीवाल (Lokesh Paliwal) है जो कि सत्य एवं सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम नयन पालीवाल (Nayan Paliwal) पुत्र लोकेश पालीवाल (Lokesh Paliwal) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

लोकेश पालीवाल

(G-1681)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनीला श्रीवास्तव पति राजीव श्रीवास्तव, पूर्व में मेरा नाम सुनीला सरन था जो मेरे दस्तावेजों में अंकित हो गया है. दोनों ही मेरे नाम हैं. मैं, अपना उपनाम परिवर्तन करना चाहती हूँ. मेरा परिवर्तित उपनाम सुनीला श्रीवास्तव पति राजीव श्रीवास्तव है. मैं, भविष्य में परिवर्तित उपनाम सुनीला श्रीवास्तव पति राजीव श्रीवास्तव के नाम से ही जानी व पहचानी जावे और दस्तावेजों में नाम दर्ज किया जावे.

पुराना नाम (सुनीला सरन) (G-1682)	नया नाम (सुनीला श्रीवास्तव) पति—राजीव श्रीवास्तव पता—एम. आई. जी. 48, माता मंदिर, हर्षवर्धन कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.).
---	---

नाम परिवर्तन

मेरा नाम SHIVANI PARIHAR है यही नाम मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक, समग्र आई डी आदि में दर्ज है, मैं, अपना नाम बदलकर LAXMI (लक्ष्मी) रख रही हूँ. अतः भविष्य में मुझे SHIVANI PARIHAR के स्थान पर LAXMI (लक्ष्मी) के नाम से जाना —पहचाना जावे तथा मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम LAXMI (लक्ष्मी) दर्ज किया जाये.

पुराना नाम SHIVANI PARIHAR (G-1683)	नया नाम (लक्ष्मी) LAXMI पता—कृष्ण मंदिर के सामने, भारत सिंह की बगिया, गेंडे वाली सड़क, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).
--	--

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश सेन पुत्र गुलाब सिंह सेन, निवासी ग्राम पोर्ट मुगालिया, जिला रायसेन (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश अंजू (ANJU) नाम दर्ज हो गया है. जो कि गलत है जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों में राधिका सेन (RADHIKA SEN) पुत्री राजेश सेन, नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में राधिका सेन (RADHIKA SEN) पुत्री राजेश सेन, के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी राजेश सेन पुत्र—गुलाब सिंह सेन. (G-1684)	प्रार्थी राजेश सेन पुत्र—गुलाब सिंह सेन.
--	--

नाम परिवर्तन

मैं, गंगाबाई श्री ख. रामबाबू जाति मैना निवासी—ग्राम कथरी, तहसील बासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में शिवान्थ नाम गलत दर्ज हो गया है. अब मैं, शिवान्थ के स्थान पर सही नाम अमान (AMAAN) दर्ज कराना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को शिवान्थ के स्थान पर सही नाम अमान (AMAAN) से जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी गंगा बाई (G-1685)	प्रार्थिनी गंगा बाई
------------------------------------	------------------------

नाम परिवर्तन

मैं, मंगला व्याघृ मालवीय स्वर्गीय—सुरेश चन्द्र व्याघृ, मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय तथा अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम मंगला व्याघृ स्वर्गीय सुरेश चन्द्र व्याघृ अंकित है एवं शादी उपरान्त मेरा नाम मंगला व्याघृ मालवीय पत्नी सुमित मालवीय हो गया था तथा मैं, अपना कुलनाम परिवर्तित कर गोत्र के अनुसार मंगला व्याघृ शर्मा पत्नी श्री सुमित शर्मा कर लिया है। मंगला व्याघृ, मंगला व्याघृ मालवीय एवं मंगला व्याघृ शर्मा एक ही के नाम हैं यानि मेरे। अतः इस प्रकाशन के बाद मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य दस्तावेजों में मंगला व्याघृ शर्मा पत्नी श्री सुमित शर्मा के नाम जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं प्रकारा जाए।

पुराना नाम (मंगला व्याघृ मालवीय) पत्नी—सुमित मालवीय (G-1686)	नया नाम (मंगला व्याघृ शर्मा) पत्नी—सुमित शर्मा पता — सी-15, श्रीराम कुञ्ज, श्रीराम कालोनी, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.).
---	---

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे.ए.के. एसोसिएट्स, समान नाका, रीवा (म.प्र.). से दिनांक 04 अप्रैल 2024 को भागीदार श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल को पृथक् कर दिया गया है। उक्त दिनांक से ही फर्म में दो नये भागीदार श्री जयप्रकाश पटेल एवं श्रीमती प्रिया सिंह पटेल को शामिल किया गया है। शेष भागीदार यथावत् फर्म में बने रहेंगे।

(G-1687)	भवदीय मे. ए.के. एसोसिएट्स राकेश रतन सिंह, (भागीदार)।
----------	---

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स DJR GROUP OF CONSTRUCTION फर्म की संरचना में परिवर्तन किया जा रहा है। जिसमें श्रीमती अनीता यादव पति नेपाल सिंह यादव, श्रीमती नेहा मिश्रा आत्मज—वृजेश मिश्रा अपनी स्वयं की इच्छा से फर्म से दिनांक 01 फरवरी 2025 से अलग हो रहे हैं एवं उनके स्थान पर श्रीमती लीला पस्तोर पति श्री महेश प्रसाद पस्तोर, श्री स्वत्रंत गंगेले आत्मज श्री अशोक कुमार गंगेले, नेपाल सिंह यादव आत्मज श्री हुकुम सिंह यादव फर्म में दिनांक 01 फरवरी 2025 से सभी साझेदारों की सर्वसम्मति से सम्मिलित हो रहे हैं।

(G-1688)	मेसर्स DJR GROUP OF CONSTRUCTION स्वत्रंत गंगेले (भागीदार)। Address-139, Shivpuri Jamdar, Kundeshwar, Tikamgarh (M.P.).
----------	---

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम गोलू पाटीदार था, जिसे परिवर्तन कर सुमित पाटीदार कर लिया है। अतः अब से मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम सुमित पाटीदार से ही लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम (गोलू पाटीदार) (Golu Patidar) (G-1689)	नया नाम (सुमित पाटीदार) (Sumit Patidar) पता—पाटीदार मोहल्ला माता चौक, श्यामपुर, सीहोर (म.प्र.).
---	--

PUBLIC NOTICE

Know all men by these presents that Shri Mahaveer Nain S/o Late Ujala Singh has expired on 31/12/2024, He was partner in the partnership firm M/S M.D. AGRO FRESH, Ground Floor. Block B, Nain Tower, Nepier Town, Shivaji Chowk, Near Madan Mahal Police Station, Jabalpur (M.P.) 482001 Old Address of Firm was 1517 Nepier Town, Jabalpur). The firm was registered with registrar of firms and Society (M.P.) *Vide* registration No. 4/14/08/00062/11 Dated 19/05/2011. Now in the firm there are following continuing partners, after Late Mahaveer Nain S/o Late Ujala Singh :

1. Shrawan Nain S/o Late Mahaveer Nain.
2. Smt. Gayatri Devi Nain W/o Late Mahaveer Nain
3. Monica Nain W/o Shrawan Nain.

Also, two minors for the benifit of partnership, namely:

1. Ku. Nitya Nain D/o Shrawan Nain
2. Ku. Navya Nain D/o Shrawan Nain,

that the change has been effected from 01/01/2025 (before starting the business hours).

M/s M.D. Agro Fresh

Shrawan Nain

(Partner).

(G-1690)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम कलाबाई पति बाबूलाल नट है जो कि मेरे ज्यादातर दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु आधार कार्ड सहित कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम काली बाई नट लिखा हुआ है. अतः मेरे आधार कार्ड सहित अन्य समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे सही नाम कलाबाई नट से ही लिखा व पढ़ा जाए.

पुराना नाम

(काली बाई नट)

नया नाम

(कलाबाई नट)

पति—बाबूलाल नट

(G-1691)

पता—म.नं. 184, वार्ड नं. 10, ग्राम बापचा,
तहसील व जिला आगर मालवा (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, SABINA BANO IS LEGALLY WEDDED SPOUSE OF NAME-MOHD RAHIS KHAN PRESENTLY SERVING IN 108, INF BN (TA) MAHAR C/O 56 ,APO, HOME ADDRESS BEHIND Dr. ANSAR, SANTOSH PURA, SUBHASH NAGAR, DIST-SAGAR, STATE (M.P.) PIN CODE-470002, HAVE CHANGED MY NAME FROM SABINA BANO TO SAMINA BANO IN ALL MY DOCUMENTS.

Old Name

(SABINA BANO)

(G-1692)

New Name

(SAMINA BANO).

नाम परिवर्तन

मैं, राम विश्वास पटेल पुत्र कोमल चंद पटेल, निवासी—वार्ड नं. 05, ग्राम तेदुआळ, पोस्ट बराच, तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश मंशु (MANSHU) नाम गलत दर्ज हो गया है, जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों पर मानसम पटेल (MANSAM PATEL) पुत्र राम विश्वास पटेल नाम दर्ज है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मानसम पटेल (MANSAM PATEL) पुत्र राम विश्वास पटेल के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

(G-1693)

प्रार्थी
(रामविश्वास पटेल)
पुत्र—कोमल चंद पटेल.

नाम परिवर्तन

मैं, सीमा पत्नी गोकुल, निवासी—ग्राम बिलावली, तहसील व जिला देवास (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश बबली बाई नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड में सीमा (SEEMA) पत्नी गोकुल, अंकित है जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अद्वशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम सीमा (SEEMA) पत्नी गोकुल, के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे।

(G-1694)

पुराना नाम (बबली बाई)	नया नाम (सीमा) (SEEMA)
	पत्नी—गोकुल.

नाम परिवर्तन

मैं, मांगू बाई पत्नी राय सिंह, निवासी—ग्राम भमुरा, पोस्ट डावरी, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मंजू पत्नी राय सिंह नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है। जबकि मेरे वोटर कार्ड में मांगू बाई (MANGU BAI) पत्नी राय सिंह अंकित है जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अद्वशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम मांगू बाई (MANGU BAI) पत्नी राय सिंह के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे।

(G-1695)

पुराना नाम (मंजू)	नया नाम (मांगू बाई) (MANGU BAI)
	पत्नी—राय सिंह.

नाम परिवर्तन

मैं, अमृता वर्मा पत्नी राजरूप वर्मा, निवासी—झुग्गी क्रमांक 2270, वार्ड 45, सेंट्रल स्कूल के पास, राजीव नगर, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश अमृता वर्मा (AMRUTA VARMA) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है। जबकि मेरे वोटर कार्ड में अमृता वर्मा (AMRITA VERMA) पत्नी राजरूप वर्मा, अंकित है जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अद्वशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम अमृता वर्मा (AMRITA VERMA) पत्नी राजरूप वर्मा के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे।

(G-1696)

पुराना नाम (अमृता वर्मा) (AMRUTA VARMA)	नया नाम (अमृता वर्मा) (AMRITA VERMA)
	पत्नी—राजरूप वर्मा.

CHANGE OF NAME

I, No. 14521200H Ex-Naik HANS RAJ S/o Late Shri Gulzari Lal Sharma Residing at 15/C, Jawahar Nagar, Mhowgaon, Post-Mhow, Tehsil-Dr. Ambedkar Nagar & District-Indore (M.P.) Pin-453441, That I have changed my name from HANS RAJ to HANSRAJ SHARMA.

Old Name	New Name
(HANS RAJ)	(HANSRAJ SHARMA)
(G-1697)	

CHANGE OF NAME

I, IC-32142L Lt Col. (TS), HOSHIYAR SINGH S/o Late Shri NAIN SINGH Residing of H.N. 72/10, Malwa Greens, Near Singal Vihar, Post-Mhow, Tehsil-Dr. Ambedkar Nagar, District-Indore (M.P.) Pin-453441, That I have changed my name from HOSHIYAR SINGH to HOSHIYAR SINGH BHANDARI.

Old Name	New Name
(HOSHIYAR SINGH)	(HOSHIYAR SINGH BHANDARI)
(G-1698)	

नाम परिवर्तन

मैं, अजाबराव पोटफोडे पिता रोडबा पोटफोडे, जाति कुनबी निवासी—बाबरबोह, तहसील आमला, जिला बैतूल, (म.प्र.). मेरा नाम सर्विस रिकार्ड में अजाब पिता रोडबा लिखा हुआ है. जो गलत है, मैं अपना नाम सर्विस रिकार्ड में अजाब पिता रोडबा की जगह अजाबराव पोटफोडे पिता रोडबा पोटफोडे दर्ज कराना चाहता हूँ. दोनों नाम का मैं एक ही व्यक्ति हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मैं, अजाबराव पोटफोडे पिता रोडबा पोटफोडे के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाऊंगा.

प्रार्थी
(अजाब राव पोटफोडे)
पिता—रोडबा पोटफोडे.

(G-1699)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील कोलार, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र. 1303-21-3-25, प्र.क्र. 1303-बी 113-2024-25.— जैसा कि “मनकामेश्वर दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर न्यास ट्रस्ट, सहयोग विहार बाबड़ियाकलां भोपाल” द्वारा श्री हरशिंकर मिश्रा आत्मज स्व. श्री ए.पी. मिश्रा, निवासी 117, सहयोग विहार बाबड़ियाकलां भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 21 अप्रैल 2025 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के “एक माह” के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपरिथित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	—	“मनकामेश्वर दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर न्यास ट्रस्ट, सहयोग विहार बाबड़ियाकलां भोपाल”।
चल सम्पत्ति	—	77,000/- राशि
अचल सम्पत्ति	—	के रूप में दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर है।

आज दिनांक 21 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(G-1700)

रविशंकर राय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार।

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुभाग—पुनासा, मध्यप्रदेश
पुनासा, दिनांक 15 अप्रैल 2025

(प्रारूप—चार)

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

प्र.क्र. 000-बी-13(1)-2024-25.— आवेदक अशोक शाह पिता रतिलाल शाह नि. ब्रागरदा, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा (म.प्र.). द्वारा श्री श्री बीसा खड़ायता समाज मून्दी सामाजिक एवं मांगलिक भवन निर्माण एवं संचालन ग्राम नगर मून्दी, तह. पुनासा, जिला खण्डवा (म.प्र.) का पंजीयन न्यास के रूप में कराये जाने हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1951 की धारा 4 के तहत आवेदन—पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवेदन किया। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन—पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 15 अप्रैल 25 को विचार किया जायेगा।

उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपरिथित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा :—

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम व पता —

श्री बीसा खड़ायता समाज मून्दी नगर मून्दी सामाजिक एवं मांगलिक भवन कानिर्माण करना जिसे ग्राम के उत्थान आकर सुविधा से खड़ायता समाज के सामाजिक कार्य होते रहेंगे। संपत्ति का रख-रखाव एवं संचालन ग्राम मून्दी तह पुनासा जिला खण्डवा (म.प्र.)

अनुसूची "अ"

चल सम्पत्ति

— नगद 280000/- रुपये बैंक खाते में नगद जमा

अनुसूची "ब"

अचल सम्पत्ति

— निरंक

शिवम प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-1701)

न्यायालय, कलेक्टर एवं लोक न्यास पंजीयक, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश
आगर-मालवा, दिनांक 3 अप्रैल 2025

प्ररूप क्र. 4

[नियम 5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा के समक्ष

क्र. लोक न्यास-2025-07 प्र.क्र. 0007-ब-113-2025-26.—यतः कि श्री जितेन्द्र कुमार सकलेचा पिता श्री शांतिलाल जी सकलेचा जाति जैन निवासी—जवाहर मार्ग, नलखेड़ा, तहसील नलखेड़ा, जिला आगर मालवा (म.प्र.). मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना—पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 6 मई 2025 मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा।

अतः मैं, राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं लोक न्यास पंजीयक जिला आगर-मालवा (म.प्र.) का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 6 मई 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना—पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपरिथित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

श्री चन्द्राप्रभु जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक श्री संघ ट्रस्ट नलखेड़ा तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा (म.प्र.) वर्तमान में उक्त ट्रस्ट के निजी स्वामित्व की कोई अचल संपत्ति नहीं है।

वर्तमान में ट्रस्ट की चल सम्पत्ति 11,111/- रुपये नगद है।

(G-1702)

राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर।

कार्यालय, सहायक आयुक्त (प्रशासन), सहकारिता, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन—2025—204.— जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कायक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3355 भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम राखी बुजुर्ग में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, राखीखुर्द को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, राखी बुजुर्ग का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, राखीखुर्द द्वारा दिनांक 26 सितम्बर 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, राखीखुर्द में ग्राम राखीखुर्द, बेहड़िया, भातकी, करणपुरा, अम्बापड़ावा एवं नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित राखी बुजुर्ग में ग्राम राखी बुजुर्ग, राखीखुर्द, बांद्रयाबड़, धावड़ी, तिल्लीखेत, बायगोर को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1703)

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन—2025—205.— जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कायक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3355, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम मलफा में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खेतिया को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मलफा का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खेतिया द्वारा दिनांक 29 सितम्बर 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खेतिया में ग्राम खेतिया, निसरपुर, भडगोन, मोरतलई एवं नवगढित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मलफा के ग्राम मलफा, टेमली, आमझिरी, खोडामुहाली, मलगाव को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16(5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1704)

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन-2025-206.— जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कार्यक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक साख—विधि—2017-3355, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम बंधाराखुर्द में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मोयदा को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बंधाराखुर्द का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मोयदा द्वारा दिनांक 3 सितम्बर 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मोयदा में ग्राम—मोयदा, चिचल्या, पाडल्या, निहाल अम्बा, वांगरा, नांदियाबड़, पिपल्यापानी, वनखड़, झेणिडियाकुण्डया, खड़ीखम को मिला कर एवं नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बंधाराखुर्द में ग्राम—बंधाराखुर्द, पिपलोद, शिवानीपड़ावा, मांडवी, जामन्यापानी, मोहल्यापानी, सकराली बुजुर्ग, सकरालीखुर्द, जैतपुरा, कालाम्बा को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि, संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञाप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1705)

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन—2025—207.— जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कार्यक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक साख—विधि—2017—3355, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम टेमला में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहाकरी संस्था मर्यादित, पानसेमल को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, टेमला का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पानसेमल द्वारा दिनांक 1 सितम्बर 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पानसेमल में ग्राम पानसेमल, चिखलदा, दिवडिया, देवधर, खड़की, कानसुल, टाकली, बालझिरी, मेन्द्राणा, जलगोन, अमदा, जुनापानी को मिला कर एवं नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, टेमला के ग्राम—टेमला, गोगवाड़ा, जाहूर, पिपरानी, पन्नाली, राजपुरा को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि, संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5)के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञाप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1706)

बुडवानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन—2025—208.— जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कार्यक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक —साख—विधि— 2017—3355 भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम बंधाराबुजुर्ग में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दोंदवाड़ा को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बंधाराबुजुर्ग का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दोंदवाड़ा द्वारा दिनांक 3 सितम्बर 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दोंदवाड़ा में ग्राम—दोंदवाड़ा, हरणया, मालकातर, ओसवाड़ा, मतराला को मिला कर एवं नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बंधाराबुजुर्ग में ग्राम बंधाराबुजुर्ग, रामपुरा, वासल्यापानी, रायखेड़ा, मनकुई, रायचुल, अलखड़, ललवान्या, गोरीखेड़ा, चुनाभट्टी, गेंद्रि, कंजापानी, सापरखड़की, घटया, भडभडा, केवड़ी, उमरबेड़ा को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि, संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञाप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1707)

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन—2025—209.— जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कायक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3355 भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम कानपुरी में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई हैं। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, निवाली को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कानपुरी का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, निवाली द्वारा दिनांक 27 सितम्बर 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, निवाली में ग्राम—निवाली बुजुर्ग, निवालीखुर्द, गुमडिया बुजुर्ग, गुमडिया खूर्द, नानीझरी, तलांव, सलून, जामनिया, कुसम्या, पिछोड़ी, पुरुषखेड़ा को मिला कर एवं नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कानपुरी के ग्राम कानपुरी, खाम्यापानी, डोगाल्यापानी, वारल्यापानी, गवाली, खड़की, घोडल्यापानी, झरीमाता, राजमली को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हरताथार एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1708)

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन-2025-210.— जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कायक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3355 भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम कुंजरी में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहाकरी संस्था मर्यादित, चाटली को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कुंजरी का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चाटली द्वारा दिनांक 14 सितम्बर 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चाटली में ग्राम चाटली, साकड़, सिलदड़, मोगरीखेड़ा को मिला कर एवं नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कुंजरी के ग्राम—कुंजरी, कन्नड़गांव, भेंसदड़, चिचबा, उमरयापानी को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1709)

बढ़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन—2025—211.— जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कायक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3355 भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम जामन्या में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई हैं। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गवाड़ी को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, जामन्या का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गवाड़ी द्वारा दिनांक 8 सितम्बर 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गवाड़ी में ग्राम गवाड़ी, भुरापानी, सेंगवी, पिपलधारा, खड़क्या, जोड़मोहड़ा को मिला कर एवं नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, जामन्या के ग्राम—जामन्या, मड़सिंग्या, राई, मोहरतमाल, राजमलीवन, डोंगरगांव, बख्तारिया, भवरगड को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम, की धारा 16 (5) के अंतर्गत सदस्यों को रवेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हरताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1710)

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन-2025-212.— जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कायक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3355 भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम सोलवन में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित मालवन को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित सोलवन का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मालवन द्वारा दिनांक 12 सितम्बर 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित मालवन में ग्राम मालवन, कुण्डीया, को मिला कर एवं नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित सोलवन के ग्राम सोलवन, कोलकी को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधनों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से किया गया है।

(G-1711)

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन-2025-213.- जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कायक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2017-3355 भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम चिलारिया में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई हैं। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बलवाड़ी को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिलारिया का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बलवाड़ी द्वारा दिनांक 22 सितम्बर 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित बलवाड़ी में ग्राम बलवाड़ी, दुधखेड़ा, घेगांव, उमर्टी, राजनगांव, केरमला, मोहनपड़ावा को मिला कर एवं नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिलारिया के ग्राम चिलारिया, भालाबेड़ी, रोजानीमाल को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधनों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से किया गया है।

(G-1712)

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन-2025-214.— जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कायक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2017-3355 भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम बाखर्ली में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, वरला को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित बाखर्ली का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, वरला द्वारा दिनांक 20 सितम्बर 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित वरला में ग्राम वरला, सेली, होल, खुटवाड़ी, चिकली, हिंगवा, को मिला कर एवं नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित बाखर्ली के ग्राम बाखर्ली, खारिया, बड़ीयापानी, पेंडारनिया, मेंदल्यापानी को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि संस्था का पुनर्गठन संदर्भों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधनों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से किया गया है।

(G-1713)

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन-2025-215.- जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कायक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र कमांक-साख-विधि-2017-3355 भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम गेरुघाटी एवं निरगुडिया में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई हैं। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित दुगानी को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गेरुघाटी एवं निरगुडिया का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दुगानी द्वारा दिनांक 8 सितम्बर 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित दुगानी में ग्राम दुगानी, देवली, बैलघाट, को मिला कर एवं नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गेरुघाटी के ग्राम गेरुघाटी, जामटी, धामन्या, घटटी, एवं नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित निरगुडिया, अम्बावतार, उमरियापानी, विवडियामाल, लोकल्यापानी, टाक्यापानी को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधनों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1714)

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन—2025—216.— जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कार्यक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3355, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम सोनखेड़ी में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, धवली को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सोनखेड़ी का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, धवली द्वारा दिनांक 21 सितम्बर 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, धवली में ग्राम धवली खोकरी, माटयामेल, कालीकुण्डी, निशान्यापानी, मेल्या, कामोंद, पन्नाली, बिलवा, पांजरिया, भोंडारीमाल, खपाड़ा, अजगरिया, झांगटा, अडनदी, रुलीबड़, जुनापानी, जामुनझीरी, धावड़ा, को मिला कर एवं नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सोनखेड़ी के ग्राम सोनखेड़ी, नहालबंद, खोकर अम्बा, मोहनपुरा, चिरमिरिया, झापडीमली, हाथीबुड़ीया, छूबझीरी, वेडस्या, कारणडाबरा, अम्लयापानी, ढोलगा, अम्बापानी, मेद्रानिया को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि, संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञाप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1715)

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन-2025-217.— जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कार्यक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3355, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम आमज़िरी में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खुर्माबाद को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, आमज़िरी का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खुर्माबाद द्वारा दिनांक 8 सितम्बर 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खुर्माबाद में ग्राम खुर्माबाद, रामगढ़ी, भामपुरा, जुलवानिया, कामोद, कीड़ीअम्बा, झांडीखोदरी को मिला कर एवं नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, आमज़िरी के ग्राम आमज़िरी, बलखड़, धावड़ा सिरवेल, खापरखेड़ा, केलपानी, को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि, संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1716)

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन—2025—218.— जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कार्यक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3355, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम घटवा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, ठीकरी को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, घटवा का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, ठीकरी द्वारा दिनांक 29 अगस्त 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, ठीकरी में ग्राम ठीकरी, जरवाह, शाहपुरा, रहडकोट, सामरतलई, लालतलई को मिला कर एवं नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, घटवा के ग्राम घटवा, सेगवाल, उमरदा, भगवानपुरा, अभाली, हसनखेड़ी, कुण्डयामाल को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि, संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम, की धारा 16 (5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1717)

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन—2025—219.— जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कार्यक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3355, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम खुरमपुरा में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बरुफाटक को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खुरमपुरा का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बरुफाटक द्वारा दिनांक 28 अगस्त 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बरुफाटक में ग्राम बरुफाटक, खारीपुरा, पटेलपुरा, डावरपुरा, बघाड़ी, कनासपुरा, डागरीपुरा, मालपुरा, जामन्या, बांदरकच्छ, जुलवानिया, टेमला, घोलान्या को मिला कर एवं नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खुरमपुरा के ग्राम खुरमपुरा, झिरन्या, देवड़ा, मदरान्या, रूपखेड़ा, पिपरखेड़ा को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1718)

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन-2025-220.— जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कार्यक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2017-3355, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम कुओं में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दवाना को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित कुओं का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दवाना द्वारा दिनांक 2 सितम्बर 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दवाना में ग्राम दवाना, देवला, हतोला, सेमल्दा, रणगांव, हटगवला बलगांव, अंजदी, घट्टी, कालापानी को मिला कर एवं नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कुओं के ग्राम कुओं, केरवा, काकरिया को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि, संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1719)

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन-2025-221.— जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कार्यक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2017-3355, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम सजवानी में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोरलाय को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सजवानी का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोरलाय द्वारा दिनांक 15 सितम्बर 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोरलाय में ग्राम बोरलाय, धनोरा, पिपरी, उटावद, तलुन को मिला कर एवं नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सजवानी के ग्राम सजवानी, धमनई, गवलाबयडी, लोनसरा, धाबावावडी, रेहगुन को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि, संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञाप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1720)

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन-2025-222.— जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कार्यक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2017-3355, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम रोसर में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, लिम्बी को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रोसर का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, लिम्बी द्वारा दिनांक 9 सितम्बर 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, लिम्बी में ग्राम लिम्बी, बमनाली, सेमली, गुड़ी, गाताबारा, नैवा को मिला कर एवं नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रोसर के ग्राम रोसर, हरला, लाईझापी, कन्डा, इडरी, जाई, घोघसा, बैडीफरतला, सिंधवानी, बौरकुण्ड, सिरसपानी, सागबारा, लेखड़ा, चैरवी, मेढ़कीमाल, गोलगांव, सेमलेट, जीवाणी, खैरवानी, करी, कोटबांधनी, भादल को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि, संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1721)

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन-2025-223.- जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कार्यक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2017-3355, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम चौकी में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोकराटा को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चौकी का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोकराटा द्वारा दिनांक 16 सितम्बर 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की रवीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोकराटा में ग्राम बोकराटा, देवगढ़, चिवानिया, पिपरकुण्ड, आमली, बन, झरार, रामगढ़, मोरानी, सागमाल को मिला कर नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चौकी के ग्राम चौकी, मतरकुण्ड, कुम्खेत, कालाखेत, उबादगड़, शिवनी, गोलपाटीवाड़ी, भैसारी को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि, संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1722)

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन—2025—224.— जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कार्यक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3355, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम गारां में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गंधावल को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गारा का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गंधावल द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गंधावल में ग्राम गंधावल, झांमर, चिकलकुआंबाड़ी, किराड़ी, पंचगांव, बेड़दा, रानीपुरा, चारपाटीया, देरवाल्या, डोंगरगांव, सिन्धी, धमारिया, सिपाई, दुवाली डोंगल्यापानी, ठेंग्चा को मिला कर नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गारा के ग्राम गारा, पोखल्या, रोसमाल को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि, संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1723)

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन—2025—225.— जिले की केतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कार्यक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3355, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम औंवली में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित पाटी को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित औंवली का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित पाटी द्वारा दिनांक 6 सितम्बर 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पाटी में ग्राम पाटी, वलन, पलवट, बुदी, मेघा, ओसाडा, चन्दनदेवी, अंजराडा, मगरपाटी को मिला कर एवं नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, औंवली के ग्राम औंवली, वेरवाडा, सावरियापानी, चाकल्या, डाबड़ी को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि, संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञाप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1724)

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन-2025-226.— जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कार्यक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2017-3355, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम बड़गांव में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रणगांवडेब को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बड़गांव का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रणगांवडेब द्वारा दिनांक 19 सितम्बर 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रणगांवडेब में ग्राम रणगांवडेब, बिलवाडेब, पिपरीडेब, पाडला को मिला एवं कर नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित बड़गांव के ग्राम बड़गांव, बंजारी, संगोदा, बजट्टा, उज्ज्वनी, रालामंडल को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि, संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16(5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1725)

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन-2025-227.- जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कार्यक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2017-3355, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम खजूरी में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित ठान को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खजूरी का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, ठान द्वारा दिनांक 15 सितम्बर 2023, को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खजूरी के ग्राम खजूरी, जाहूर को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि, संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1726)

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन-2025-228.— जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कार्यक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2017-3355, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम एकलबांरा में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, उपला को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, एकलबारा का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, उपला द्वारा दिनांक 22 सितम्बर 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, उपला में ग्राम उपला, सिदडी, खडक्यामहू, जोड़ाई, मड़वाड़ी, निहाली को मिला कर एवं नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, एकलबारा में ग्राम एकलबारा, सावरदा एवं मटली मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि, संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञाप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1727)

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र. पुनर्गठन-2025-229.— जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कार्यक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2017-3355, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम काजलमाता एवं भुराकुआ में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित चिकल्या को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, काजलमाता एवं भुराकुआ का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिकल्या द्वारा दिनांक 18 सितम्बर 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चिकल्या में ग्राम चिकल्या, वेदपुरी, टेमला, धमोड़ी, जाड़ाखाउ, भण्डारदा को मिला कर नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, काजलमाता के ग्राम काजलमाता, मरदई, बोरचापड़ा, गोलबावड़ी, कंजाकुआ एवं नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, भुराकुआ में ग्राम भुराकुआ, रातड़ियामाल, उमेदड़ा को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि, संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वैच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1728)

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(12) के अंतर्गत]

क्र: पुनर्गठन-2025-230.— जिले की कतिपय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अत्यधिक विस्तारित कार्यक्षेत्र के कारण उनसे हितबद्ध सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त सोसायटियों की आमसभा से सोसायटियों के कार्यक्षेत्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस जिला कार्यालय को आगामी वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। समुचित परीक्षण उपरांत उक्ताशय की अनुमति हेतु आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3355, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम जुनाझीरा में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के नवीन पंजीयन सहित पुनर्गठन किये जाने की अनुमति की गई है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सिलावद को पुनर्गठित कर बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, जुनाझीरा का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सिलावद द्वारा दिनांक 29 अगस्त 2023 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन की स्वीकृति करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उनके अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सिलावद में ग्राम सिलावद, होलगांव, तागड़ा, हिरकराय, रेहगुन, रायचुली, पाचपुलादक्षिण, सिंधीखोदरी, ठान, कदवाल्या, टपकला, अतरसंभा, अम्बापानी, मुवासवाड़ा को मिलाकर एवं नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, जुनाझीरा के ग्राम जुनाझीरा, पखाल्या, कालाखेत, गोठानिया, पाचपुलाउत्तर, सेमल्याखोदरा, डोमरियाखोदरा को मिलाकर नवीन संस्था में विभाजित किया जावेगा। चूंकि, संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा 16 (5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, यह प्रकाशन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (12) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

यह विज्ञप्ति व्यापक लोकहित एवं सर्वसाधारण की जानकारी के उद्देश्य से आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1729)

सुरेश सांवले, सहायक आयुक्त।

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 अप्रैल 2025—वैशाख 5, शक 1947

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएँ

(कुछ नहीं)